

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

: शुद्धि पत्र :

दिनांक 27.08.2022

इस कार्यालय द्वारा सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू) को जारी परावर्तित अवकाश स्वीकृति के आदेश क्रमांक:-स्था (रा.न्या.से.) अवकाश/2531/2022 दिनांक 26.08.2022 के पैरा संख्या 01 में अंकित परावर्तित अवकाश अवधि 12 दिवस के स्थान पर 15 दिवस पढ़ा जावे ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 27.08.2022
दिनांक 27.08.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/60/2015/5836

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू को उनके पत्रांक 6646 दिनांक 01.08.2022 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री दिप्ती स्वामी (RJ0889), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ (झुंझुनू) ।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ (झुंझुनू) ।

सहायक रजिस्ट्रार